

राजस्थान सरकार
सांख्यिकी विभाग

क्रमांक:—एफ 5(53)/सीओआई/सम/डीईएस/2018-19/ 1254

दिनांक:— 11/11/2019

अधिसूचना

जनगणना अधिनियम 1948 (37/1948) के अनुच्छेद 4 के उपबन्ध (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यपाल निम्नलिखित तालिका के कॉलम संख्या 3 में दर्शाए गए अधिकारियों को कॉलम संख्या 4 में उल्लेखित जनगणना अधिकारियों के पदनामों के अनुरूप नियुक्त करते हैं। उक्त समस्त अधिकारी तालिका के कॉलम 5 में उनके पदनाम के आगे दर्शाए गए क्षेत्राधिकार में भारत की जनगणना 2021 को आयोजित करने, उसमें सहयोग प्रदान करने तथा पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

संभाग, जिला, उपखण्ड एवं तहसील स्तर की नियुक्तियां

क्रम संख्या	स्तर (Level)	धारित पद नाम	जनगणना अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4	5
1.	संभाग	संभागीय आयुक्त	संभागीय जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
2.	जिला	जिला कलक्टर	प्रमुख जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
3.	जिला	अतिरिक्त जिला कलक्टर	जिला जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
4.	जिला	उप/सहायक निदेशक, जिला सांख्यिकी कार्यालय	उप जिला जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
5.	उप खण्ड	उप खण्ड अधिकारी	उपखण्ड जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
6.	तहसील	तहसीलदार	तहसील जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
7.	तहसील	नायब तहसीलदार	अतिरिक्त तहसील जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)


नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका स्तर की नियुक्तियां

क्रम संख्या	स्तर (Level)	धारित पद नाम	जनगणना अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4	5
1.	नगर निगम	आयुक्त	प्रमुख जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
2.	नगर निगम	अतिरिक्त आयुक्त / उपायुक्त /	नगर जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
	नगरपरिषद / नगरपालिका	आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी		उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
3.	नगर निगम / नगरपरिषद / नगरपालिका	राजस्व अधिकारी	उप नगर जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)

उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 4 के उपबन्ध (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय कॉलम 3 में उल्लेखित अधिकारियों को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि वे अपने वैधानिक क्षेत्राधिकार में आवश्यक जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेंगे।

जनगणना अधिनियम 1948 के अनुच्छेद 11 के प्रावधान अनुसार जनगणना अधिकारी तथा कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से इस कार्य को करने व सहयोग करने के लिए बाध्य है। यदि कोई भी व्यक्ति जिसे जनगणना का कोई भी कार्य आवंटित किया गया है उसे करने से मना करता है या उरारों किरसी भी प्रकार की बाधा या रुकावट उत्पन्न करता है तो वह एक हजार रुपये (Rs.1000/-) नकद तक की शारित और तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डित किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से



 (अमय कुमार)
 प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. समस्त अति. मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. विशिष्ट सहायक, उप मुख्य मंत्री, राजस्थान।
6. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/ जिला कलेक्टर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान गजट में प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
4. उप निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।


(डॉ. ओ.म. प्रकाश बैरवा)
संयुक्त शासन सचिव



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांकRAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक 24, शुक्रवार, शाके 1941-नवम्बर 15, 2019
Kartika 24 Friday, Saka 1941-November 15, 2019

भाग-1(क)

नियुक्तियों छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियां ।

सांख्यिकी विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 11, 2019

संख्या प. 5 (53)/सीओआई/सम/डीईएस:-जनगणना अधिनियम, 1948 (37/1948) के अनुच्छेद 4 के उपबन्ध (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यपाल निम्नलिखित तालिका के कॉलम संख्या 3 में दर्शाए गए अधिकारियों को कॉलम संख्या 4 में उल्लेखित जनगणना अधिकारियों के पदनामों के अनुरूप नियुक्त करते हैं। उक्त समस्त अधिकारी तालिका के कॉलम 5 में उनके पदनाम के आगे दर्शाए गए क्षेत्राधिकार में भारत की जनगणना 2021 को आयोजित करने, उसमें सहयोग प्रदान करने तथा पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

संभाग, जिला, उपखंड एवं तहसील स्तर की नियुक्तियां

क्रम संख्या	स्तर (Level)	धारित पद नाम	जनगणना अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4	5
1.	संभाग	संभागीय आयुक्त	संभागीय जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
2.	जिला	जिला कलक्टर	प्रमुख जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
3.	जिला	अतिरिक्त जिला कलक्टर	जिला जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
4.	जिला	उप/सहायक निदेशक, जिला सांख्यिकी कार्यालय	उप जिला जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
5.	उप खण्ड	उप खण्ड अधिकारी	उपखण्ड जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
6.	तहसील	तहसीलदार	तहसील जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)

7.	तहसील	नायब तहसीलदार	अतिरिक्त तहसील जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
----	-------	---------------	-------------------------------	---

नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगरपालिका स्तर की नियुक्तियां

क्रम संख्या	स्तर (Level)	धारित पद नाम	जनगणना अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4	5
1.	नगर निगम	आयुक्त	प्रमुख जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
2.	नगर निगम	अतिरिक्त आयुक्त/उपायुक्त	नगर जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
	नगर परिषद् /नगर पालिका	आयुक्त/ अधिशाषी अधिकारी		उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)
3.	नगर निगम/नगर परिषद् /नगर पालिका	राजस्व अधिकारी	उप नगर जनगणना अधिकारी	उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार (The whole of their respective Jurisdiction)

उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 4 के उपबन्ध(4)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय कॉलम 3 में उल्लेखित अधिकारियों को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि वे अपने वैधानिक क्षेत्राधिकार में आवश्यक जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेंगे।

जनगणना अधिनियम 1948 के अनुच्छेद 11 के प्रावधान अनुसार जनगणना अधिकारी तथा कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से इस कार्य को करने व सहयोग करने के लिए बाध्य है। यदि कोई भी व्यक्ति जिसे जनगणना का कोई भी कार्य आवंटित किया गया है उसे करने से मना करता है या उसमें किसी भी प्रकार की बाधा या रुकावट उत्पन्न करता है तो वह एक हजार रुपये (Rs. 1000/-)नकद तक की शास्ति और तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डित किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

अभय कुमार,

प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।